कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3366 /मीरजापुर/33–1, दिनांक, मीरजापुर, अप्रैल, 8, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा।

विषयः– मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का VIP शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के अनुसार परीक्षण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1606/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 31–01–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि हेतु मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP-23/14–2–2019–190जी /2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण कर प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में प्राप्त गैर वन भूमि का परीक्षण VIP शासनादेश दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परीक्षणोपरान्त तहसील–लालगंज, मड़िहान, सदर एवं चुनार द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण सारांश निम्नवत् है–

क्र0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	परीक्षण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का गाटावार विवरण		VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		अभ्युक्ति
			गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चुनार	चकगम्भीरा	1	127.502	1	127.502	—
2	सदर	सिंधौरा	1	39.911	1	39.911	—
3	लालगंज	मानिकपुर	1	9.131	1	9.131	—
4		नौदर	1	17.769	0	0	ग्राम– नौदर का आ0सं0–1क मि0/रकबा–17.769, पुराकाशीनाथ का आ0सं0– 235मी0/रकबा–16.046 एवं रैकरा का आ0सं0–108य मि0/4.238, हे0 भूमि वर्तमान खतौनी की नवैयत/1359 फसली की नवैयत में गाटा/अंश गाटा जंगल, झाड़ी, वन दीगर, धारा–4, धारा–20 आदि से आच्छादित होने एवं वन संरक्षण अधिनियम की परिधि में होने के कारण उपरोक्त गाटों/रकबा को स्वीकार नहीं किया गया।
5		पुराकाशीनाथ	1	16.046	0	0	
6		उरूआ	1	25.378	1	25.378	
7	मड़िहान	रैकरा	2	15.928	1	11.690	
योग			8	251.665	5	213.612	

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP-23/14–2–2019–190जी/2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में, सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी, जिसे उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक–352/एस0डी0ओ0/33 दिनांक 08.04.2025 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार के पत्रांक–14/एस0डी0ओ0/चुनार दिनांक 28.03.2025 द्वारा इस कार्यालय को संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर स्थलवार विवरण निम्न प्रकार है–

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता की वर्तमान स्थिति
			गाटा संख्या	रकबा (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6
1	चुनार	चकगम्भीरा	114मि0	127.502	ग्राम–चकगम्भीरा के आ0सं0–114मी0/रकबा–127.502 हे0 (कुल रकबा–138.80 हे0) का मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 20 हे0 भूमि मोरमयुक्त एवं पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी। शेष भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
2	सदर	सिंधौरा	1007	39.911	ग्राम–सिंधौरा के आ0सं0–1007/रकबा–39.911 हे0 का मौके का निरीक्षण किया गया, भूमि अत्यधिक पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।
3	लालगंज	मानिकपुर	3छ	9.131	स्थलीय निरीक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति निम्नवत पायी गयी– 1. लगभग 3 हे0 भूमि पर गेहूँ बोया गया है अतः यह अतिक्रमित है। 2. शेष 6.131 हे0 वन भूमि अत्यन्त उबड़–खाबड़, पथरीली एवं कंकरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।
4		उरूआ	78य	25.378	स्थलीय निरीक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति निम्नवत पायी गयी– 1–बस्ती बसी हुई है 14–15 लोगो का कच्चा व पक्का आवास लगभग 4 हे0 क्षेत्र में बसा हुआ है। 2–लगभग 6 हे0 बन्धी का निर्माण हुआ है जो डूब क्षेत्र में है तथा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। 3–शेष 16.878 हे0 क्षेत्रफल पथरीला एवं कंकरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही है।
5	मड़िहान	रैकरा	108ठ	11.690	प्रश्नगत गाटे में लगभग 5 हे0 भूमि पर अत्यधिक स्लोप/ढलान है तथा पथरीला क्षेत्र है। शेष 6.69 हे0 क्षेत्रफल ही वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

गोश्वारा

क्र0 सं0	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में)	अभ्युक्ति		
				वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षे0 (हे0 में)	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिक्रमित क्षे0 (हे0 में)	मोरमयुक्त/पथरीला/अन्य कारणों से अनुपयुक्त क्षे0 (हे0 में)
1	चकगम्भीरा	114मि0	127.502	107.502	–	20.00
2	सिंधौरा	1007	39.911	–	–	39.911
3	मानिकपुर	3छ	9.131	–	3.00	6.131
4	उरूआ	78य	25.378	–	4.00	21.378
5	रैकरा	108ठ	11.690	6.690	–	5.00
	योग		213.612	114.192	7.00	92.42

उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग को वनीकरण योग्य एवं विवाद रहित तथा अतिक्रमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या 3361 /समदिनांक

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

प्रतिलिपि- मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 को उनके पत्र दिनांक- 03-02-25 के क्रम में प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

UltraTech Cement Limited
Unit: ... Cement Works

Authorised Signatory